विभिन्न डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में जाने- GK नोट्स PDF में डाउनलोड करें!

सरकारी सुधारों के अनुरूप, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को कैशलेस लेनदेन अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है। एनईएफटी, आरटीजीएस, एमटीएसएस जैसे बैंकिंग के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली लेनदेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। दुनिया में ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव के कारण आईबीपीएस, एसएससी और अन्य बैंकिंग परीक्षाओं के उम्मीदवार होने के नाते इन कैशलेस लेनदेन मोड का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के प्रति जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है और जनरल अवेयरनेस सेक्शन में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाने के संभावनाएं हैं। इस लेख में भारत सरकार की आधार कार्ड आधारित भुगतान पहल के बारे में भी बताया गया है।

डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में

परिभाषा: बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) के अनुसार, भुगतान प्रणाली में उपकरण, बैंकिंग प्रक्रिया और आम तौर पर अंतर-बैंक धन हस्तांतरण होता है जो पैसे के संचलान को सुनिश्चित करता है और सुविधा प्रदान करता है।

एक भुगतान प्रणाली मौद्रिक मूल्य के हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय लेनदेन को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी प्रणाली है और इसमें ऐसे संस्थानों, उपकरणों, लोगों, नियमों, प्रक्रियाओं, मानकों और प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाता है जो इस तरह के एक एक्सचेंज को संभव बनाते हैं।

डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल इक्विटी बाजार, बॉन्ड बाजार, मुद्रा बाजार, वायदा बाजार, डेरिवेटिव बाजार, विकल्प बाजार, और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थानों के बीच धन हस्तांतरण के लिए व वित्तीय लेनदेन को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जाता है।

A. डिजिटल पेमेंट सिस्टम - आरटीजीएस

रीयल -टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स (आरटीजीएस) फंड ट्रांसफर सिस्टम हैं जहां धन या प्रतिभूतियों का हस्तांतरण 'रीयल टाइम' और 'ग्रॉस' के आधार पर एक बैंक से दूसरे में किया जाता है। 'रीयल टाइम' में सेटलमेंट का अर्थ है कि भुगतान लेनदेन को किसी भी प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता नहीं होती है। इसके तहत जब फंड प्राप्त किया जाता है, तभी

उसे आगे भुगतान या ग्राहक के निर्देशानुसार अन्य उपयोग के लिए बढ़ा दिया जाता है। एक बार फंड ट्रांसफर करने के बाद बदला नहीं जा सकता और ना हीं कैंसल किया जा सकता है। 2004 में इसे रीयल टाइम और ग्रॉस के आधार पर इंटरबैंक भुगतानों के निपटारे की सुविधा प्रदान करने के लिए पेश किया गया ताकि भुगतान प्रणाली में जोखिमों की घटनाओं को कम किया जा सके।

आरटीजीएस की महत्वपूर्ण विशेषताएँ:

- इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण को बढ़ावा देना है।
- यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो रीयल टाइम और ग्रॉस सेटलमेंट के आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का ट्रासंफर किया जाता है।
- इसका मतलब है कि भुगतान लेनदेन किसी भी प्रतीक्षा अवधि के अधीन नहीं है। फंड ट्रांसफर के फ़ौरन बाद ही पूरी हो जाती है। ग्रॉस सेटलमेंट का अर्थ होता है, धन हस्तांतरण एक या एक आधार पर पूरा किया जाता है, बिना किसी लेनदेन के क्लस्टरिंग के।
- आरबीआई के अनुसार एक बार फंड ट्रांसफर करने के बाद अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाता है। यह प्रणाली आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। साथ ही आरटीजीएस का इस्तेमाल कुछ घंटों के लिए कार्यदिवसों में ही किया जा सकता है
- न्यूनतम सीमा 2,00,000 रुपये है और कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

B.डिजिटल पेमेंट सिस्टम - एनईएफटी

एनईएफटी का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक नकदी हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। इसका उपयोग भारत के भीतर विशेष रूप से बैंकों के भीतर एक वित्तीय संस्थान से दूसरे में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसे नवंबर 2005 में लॉन्च किया गया था और हर बैंक को सौंपा गया था। आरबीआई द्वारा सभी बैंकों के लिए एनईएफटी डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दिया गया था। नकद प्रेषण के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है।

एनईएफटी की महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- 2005 में एनईएफटी को लॉच किया गया।
- यह विशेष इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एसईएफटी) का एक संशोधन है।
- एनईएफटी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर विधी है।

- इसका इस्तेमाल व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा देश भर में किया जाता है।
- केवल एनईएफटी सक्षम बैंक शाखाएं लेनदेन कर सकती हैं।
- राशि तुरंत हस्तांतरित नहीं होती है लेकिन निश्चित समय के दौरान लेनदेन विशिष्ट बैचों में किया जाता है।
- जिनके पास बैंक खाता नहीं है, वे एनईएफटी सक्षम शाखाओं में नकदी जमा करके एनईएफटी का उपयोग कर सकते हैं।
- एनईएफटी सुरक्षित और सुविधाजनक दोनों है।

एनईएफटी के बारे में:

- एनईएफटी के लिए बैंक अनुरोध भेजना
- अनुरोध एनईएफटी सर्वर द्वारा पंजीकृत है
- इनपुट के आधार पर अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है।
- आरबीआई सर्वर सभी एनईएफटी अनुरोधों को बढ़ाता है और इसे प्रति घंटा बैचों में पूरा करता है।

एनईएफटी और आरटीजीएस भुगतान प्रणाली के बीच अंतर:

क्राइटेरिया	एनईएफटी	आरटीजीएस
एक्रोनिम	नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर	रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
अरेंजमेंट	बैचों में किया जाता है व धीमा है	रीयल टाईम ट्रांसफर और तेज
ट्रांसफर के समय	8:00am-6:30pm (सोमवार-शुक्रवार) 8:00am-12:30pm (शनिवार)	9:00am-4:30pm (सोमवार-शुक्रवार) 8:00am-1:30pm (शनिवार)
न्यूनतम स्थानांतरण सीमा	न्यूनतम सीमा रकम नहीं	2 लाख
अधिकतम स्थानांतरण सीमा	कोई सीमा नहीं है	कोई सीमा नहीं है
क्रेडिट इन बेनेफिशरी अकाउंट	निर्धारित समय में व बैंकों के बैंच बीच में	रीयल टाइम में बैंकों के बीच में

आरबीआई के आधार पर भुगतान	10,000 तक: 2.५ रू 10,001 - 1 लाख तक : ५ रू 1 - 2 लाख: 15 रू 2 लाख से ऊपर: 25रू	2-5 लाख के ऊपर: 25-30 रू 5 लाख के ऊपर: 50-55 रू
लाभकारी	छोटे मनी ट्रांसफर	बड़े मनी ट्रांसफर

C.डिजिटल भुगतान प्रणाली- आईएमपीएस

- आईएमपीएस मोबाइल फोन के माध्यम से एक त्वरित इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है।
- यह सेवा इंटरबैंक के बीच लेनदेन के लिए 24 × 7 उपलब्ध है।
- इसे किसी भी "बैचों" की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आईएमपीएस तत्काल स्थानांतरण प्रदान करता है।
- आईएमपीएस मार्ग के माध्यम से फंड को स्थानांतरित करने में सक्षम होने के लिए आपको पहले अपने बैंक के साथ तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए पंजीकरण करना होगा।
- सफल पंजीकरण के बाद, बैंक आपको "मोबाइल मनी आइडेंटिफायर (एमएमआईडी) और मोबाइल पर्सनल पहचान संख्या (एमपीआईएन) प्रदान करेगा।
- धनराशि स्थानांतरित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि 1 रुपये और 2,00,000 रुपये होनी चाहिए।

D.डिजिटल भुगतान प्रणाली - एमटीएसएस

- मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) विदेशों से भारत में व्यक्तिगत प्रेषण करने का एक तरीका है।
- भारत में इसे केवल अंदरूनी प्रेषण के माध्यम से पारिवारिक रखरखाव और भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में प्रेषण की अनुमति है।
- कोई बाहरी प्रेषण की अनुमति नहीं है।
- इस योजना के तहत, विदेशों में प्रतिष्ठित मनी ट्रांसफर कंपनियों के बीच एक समझौता किया जाता है, जिसे भारत में ओवरसीज प्रिंसिपल और एजेंटों के नाम से जाना जाता है। जो चालू विनिमय दर पर भारत में लाभार्थियों को धन प्रदान करते हैं।
- ओवरसीज प्रिंसिपल एक पंजीकृत इकाई होनी चाहिए, जो केंद्रीय बैंक / सरकार या मनी ट्रांसफर क्रियाकलापों के लिए संबंधित देश के वित्तीय नियामक प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।

- ओवरसीज प्रिंसिपल के पंजीकरण का देश एएमएल अनुपालन होना चाहिए। ओवरसीज प्रिंसिपल को भुगतान प्रणाली और भुगतान प्रणाली को शुरू करने / संचालित करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त होना चाहिए।
- भारतीय एजेंट बनने के लिए, आवेदक को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 बैंक या प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-द्वितीय या पूर्ण फ़्लैज्ड मनी चेंजर (एफएफएमसी) या डाक विभाग होना चाहिए।इसके अलावा, भारतीय एजेंट उप-एजेंट भी नियुक्त कर सकते हैं जो रिटेल आउटलेट, व्यावसायिक संस्थाएं व्यवसाय की जगह हो सकती हैं, और जिनके बोनफाईड्स भारतीय एजेंट को स्वीकार्य हैं।
- इस योजना के तहत व्यक्तिगत प्रेषण पर 2,500 अमरीकी डालर भरा जाता है।
- धर्मार्थ संस्थानों / ट्रस्टों में योगदान, व्यापार से संबंधित प्रेषण, संपत्ति की खरीद, प्रेषण या एनआरई खातों को क्रेडिट- इस व्यवस्था के माध्यम से अनुमति नहीं है।
- भारतीय एजेंटों को एमटीएसएस ढांचे के तहत संचालित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमति की आवश्यकता होती है।

E.डिजिटल पेमेंट सिस्टम - ईपीएस

testbook.com

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली माइक्रो-एटीएम द्वारा भुगतान समाधान का एक सरल, सुरक्षित उपयोगकर्ता अनुकूल तरीका शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख पहल है। यह भविष्य में देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एक भुगतान प्रणाली है जो ग्राहकों को उनके आधार और सक्षम बैंक खातें के साथ बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों को पहचानने के लिए आधार संख्या और बायोमैट्रिक डेटा उपयोग करने की अनुमति देता है।

हालांकि, आजकल भारत सरकार अपने ग्राहकों को अपने संबंधित आधार सक्षम बैंक खाते तक पहुंचने के लिए आधार का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। लेन-देन, नकद जमा, पैसे निकालना आधि के लिए आधार के उपयोग करवाने की कोशिश की जा रही है।

विभिन्न आधार सक्षम सेवाएं :

- बैलेंस पूछताछ

- नकद निकासी
- नकद जमा
- आधार से आधार पर फंड ट्रांसफर करना

एईपीएस लेनदेन की महत्वपूर्ण बातें:

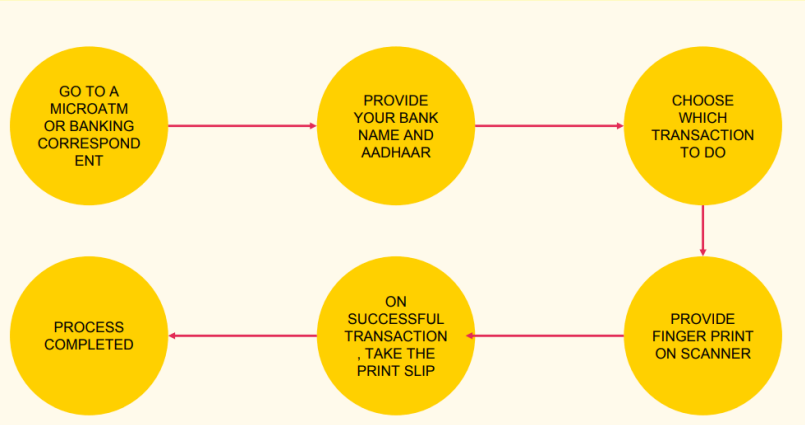

एईपीएस लेनदेन के लाभ:

1. आधार सक्षम भुगतान मंच राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) से संबंधित सिस्टम में सभी नकली आंकड़ों को रद्द करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है।
2. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मूल विषय यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी को आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से अपना लाभ मिल जाए जो एक उत्तरदायी, लागत प्रभावी और पारदर्शी है।

ये भारत में बैंकिंग और एसएससी परीक्षाओं के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के विभिन्न प्रकारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे। आप अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेख पढ़ सकते हैं:

Books and Authors Current Affairs

List of Important Days and Dates 2018

Finance and Banking Abbreviations

List of New Appointments in the World 2018

परीक्षा की तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए नि: शुल्क प्रश्नों के अभ्यास के लिए इस लिंक पर जाएं:

"फ्री में प्रश्नों को हल करें"

विशेषज्ञों और अपने साथी उम्मीदवारों के साथ अपनी प्रश्नोत्तरी और संदेह हल करें:

"टेस्टबुक डिसकस पर जायें

testbook.com